प्रेस नोट

दिनांक- 14-11-2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने एवं फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0873/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित वांछित अभियुक्त अभिषेक दूबे पुत्र स्व0 कैलाश दूबे निवासी ग्राम आजमपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, को दिनांक 14.11.2026 को लोलपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अजीत सिंह निवासी गायत्री पुरम, सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि अभिषेक दूबे नाम के व्यक्ति द्वारा उसे विश्वास में लेकर नवीन मेडिकल कॉलेज गोण्डा में डार्क रूम सहायक के पद पर नौकरी दिलाने तथा उसकी पत्नी को भी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में दोनों की नौकरी के लिए कुल 10 लाख रुपये की मांग की गई। अभियुक्त के झांसे में आकर वादी द्वारा दिनांक 25.11.2024 से 20.05.2025 के मध्य विभिन्न किस्तों में ऑनलाइन कुल 4,58,800 रुपये का भुगतान किया गया तथा शेष धनराशि नकद दिया गया। अभियुक्त द्वारा वादी को कूटरचित नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया। वादी जब नियुक्ति पत्र लेकर नवीन मेडिकल कॉलेज गोण्डा पहुंचा तो वहां संबंधित कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया गया तथा किसी भी प्रकार की ऐसी नियुक्ति होने से इनकार किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभिषेक दूबे पुत्र स्व0 कैलाश दूबे निवासी ग्राम आजमपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, हाल पता हाफिजपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 0873/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शुभांशु पाठक, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. का0 विशाल यादव।
3. का0 शैलेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 14-11-2026

यातायात माह नवंबर-2026 के अंतर्गत 50 ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों का कराया गया नेत्र परीक्षण

दिनांक 14.11.2026 को यातायात माह नवंबर-2026 के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला अस्पताल जनपद गोण्डा में नेत्र परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात की उपस्थिति में प्रभारी यातायात द्वारा जनपद के 50 ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों का नेत्र परीक्षण कराया गया। नेत्र परीक्षण के माध्यम से चालकों की दृष्टि क्षमता की जांच कराई गई, जिससे वाहन संचालन के दौरान दृष्टि संबंधी किसी भी समस्या के कारण होने वाली संभावित सड़क दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। साथ ही वाहन चालकों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतने तथा अपनी आंखों की नियमित जांच कराने के संबंध में जानकारी दी गई। यातायात पुलिस द्वारा बताया गया कि सड़क सुरक्षा में वाहन चालकों की शारीरिक एवं मानसिक सतर्कता के साथ-साथ उनकी दृष्टि क्षमता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर टीएसआई राकेश कुमार, सीटीपी योगेश कुमार, सीटीपी राकेश कुमार एवं जीएच अनिल पाठक सहित अन्य संबंधित कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 14-11-2026

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत किया गया सीज-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.11.2026 को थाना उमरीबेगमगंज के थानाध्यक्ष पवन मिश्रा मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा अपराधों की रोकथाम हेतु बेलसर-उमरी मार्ग पर ग्राम गोधौरा पकवान के सामने चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि बेलसर की तरफ से उमरीबेगमगंज की ओर एक व्यक्ति लाल-सफेद रंग की केटीएम मोटरसाइकिल से आ रहा है, जिसके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता से पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अनूप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी संत सिंह पूरे, मौजा सोनौली मोहम्मदपुर, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से मिली केटीएम मोटरसाइकिल के वैध कागजात प्रस्तुत न कर पाने के कारण मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनूप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी संत सिंह पूरे, मौजा सोनौली मोहम्मदपुर, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर।
2. एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।

सीज वाहन-

01- केटीएम मोटरसाइकिल संख्या UP43 BA 4459 (धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत)।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0- 291/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष पवन मिश्रा।
2. हे0का0 विनय कुमार यादव।
3. हे0का0 शिवप्रसाद प्रजापति।
4. का0 आदर्श सिंह।
5. का0 शिवम मिश्रा।
6. का0 जितेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 14-11-2026

मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा मां बाराही देवी मंदिर मुकुंदपुर, थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा कटी तिराहा, बस स्टैंड एवं चिरैया चौराहा, थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मॉडर्न चिल्ड्रन अकादमी कहोबी, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नगर क्षेत्र, थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा ग्राम महादेवा, थाना छपिया पुलिस द्वारा लिटिल स्टार चिल्ड्रेन एकेडमी बभनजोतिया एवं ग्राम बियासी तेंदुआ रानीपुर, थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा बाजार, बैंक एवं सार्वजनिक स्थानों, थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मेधावी पब्लिक स्कूल तथा थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम तकिया एवं खोरहसा सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, शोषण, दहेज उत्पीड़न, बाल अपराध एवं बाल विवाह जैसी घटनाओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही प्रत्येक थाने पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र की उपयोगिता एवं वहां उपलब्ध सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं से उनकी समस्याओं एवं सुरक्षा संबंधी परेशानियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। बालिकाओं एवं छोटे बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में समझाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी अपने अभिभावकों अथवा पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने एवं शिक्षा से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक एवं संदेशों पर व्यक्तिगत अथवा बैंक संबंधी जानकारी साझा न करने, ऑनलाइन बैंकिंग एवं डिजिटल लेनदेन में सावधानी बरतने तथा सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता बनाए रखने की जानकारी दी गई। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन आदि के संबंध में भी जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पम्पलेट वितरित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

महिला सुरक्षा एवं सहायता हेतु महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

- **112** – पुलिस आपातकालीन सेवा
- **1090** – वीमेन पावर लाइन
- **181** – महिला हेल्पलाइन
- **1098** – चाइल्ड हेल्पलाइन
- **1930** – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- **1076** – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- **102** – स्वास्थ्य सेवा
- **108** – एंबुलेंस सेवा
- **101** – अग्निशमन सेवा

उक्त जागरूकता कार्यक्रमों में संबंधित थानों की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीमों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण सम्मिलित रहे। इनमें महिला उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं महिला आरक्षी शामिल रहे।

गोण्डा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मीडिया सेल, गोण्डा।